

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :- 110/2019

दायर तारीख 22.05.2019

अनवान

राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.....प्रार्थी

बनाम

1. जिला वन अधिकारी भीलवाड़ा।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी माण्डलगढ़।
3. सरपंच ग्राम पंचायत सदाराम जी का खेड़ा।
4. सचिव ग्राम पंचायत सदाराम जी का खेड़ा।

..... विपक्षीगण

उपस्थित :- 01. पैरोकार

02. क्षेत्रीय वन अधिकारी माण्डलगढ़।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

-: निर्णय :-

दिनांक 27.05.2019

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पैरोकार तहसीलदार बिजौलियाँ ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विरुद्ध विपक्षी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का गणेशपुरा आराजी नम्बर 189/1 रकबा 2-11 बीघा भूमि वन विभाग के नाम दर्ज रेकॉर्ड हैं। किन्तु वर्णित भूमि नक्शे में तरमीम नहीं होने से नक्शे में तरमीम के आदेश दिलाना फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गई।

विपक्षी क्षेत्रीय वन अधिकारी माण्डलगढ़ उपस्थित जिन्होंने प्रस्तावित DILRMP के तहत ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का गणेशपुरा आराजी नम्बर 189/1 रकबा 2-11 बीघा भूमि की तरमीम वन विभाग के आराजी नम्बर 190 से लगती हुयी की जाने बाबत् अपनी सहमति अंकित की हैं। नक्शा ट्रेस में हस्ताक्षर किये हैं। प्रस्तावित ट्रेस अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम कराना फरमावें।


प्रकरण का DILRMP के तहत निस्तारण किया जाना अपेक्षित हैं। अतः दर्ज भूमि के नक्शे में तरमीम किया जाना हम उचित समझते हैं। नक्शे में तरमीम करने हेतु विपक्षीगण क्षेत्रीय वन अधिकारी माण्डलगढ़ ने ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का गणेशपुरा आराजी नम्बर 189/1 रकबा 2-11 बीघा भूमि की तरमीम वन विभाग के आराजी नम्बर 190 से लगती हुयी की जाने बाबत् अपनी सहमति व्यक्त की हैं।

बहस पैरोकार सरकार की सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नक्शे में आवश्यक तरमीम के आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते है।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का गणेशपुरा आराजी नम्बर 189/1 रकबा 2-11 बीघा भूमि की तरमीम वन विभाग के आराजी नम्बर 190 से लगती हुयी की जाने की स्वीकृती प्रदान की जाती हैं। तहसीलदार द्वारा नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम करने की सुनिश्चितता करें।

आदेश आज दिनांक 27.05.2019 को लिखवाया जाकर सुनवाया गया।


(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ